

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना-बिलरियागंज

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित, ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अवैध असलहो की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी आजमगढ़ के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 06.09.2021 को उ०नि० कन्हैया लाल मौर्य थाना बिलरियागंज मय राह द्वारा वांछित, ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु मधनापार तिराहे पर पहुँचे जहाँ पर पूर्व से का० शशि कुमार सिंह, हे०का० सुनिल कुमार मौजूद थे। जिनके साथ उच्चाधिकारी गण के आदेश के अनुपालन में चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति व वाहन किया जाने लगा की मधनापार से एक मोटर साइकिल पर सवार एक व्यक्ति आता दिखाई दिया। संदिग्ध लगने पर रोककर नाम पुछा गया तो उसने अपना नाम मिथलेश यादव पुत्र धनराज यादव निवासी शंकरपुर थाना महाराजगंज आजमगढ़ बताया। मौके पर तलाशी में उसके पास से एक अदद तमंचा .315 बोर, एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर व दो अदद खोखा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 147/2021 धारा 3/25 शस्त्र अधि० पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

मिथलेश यादव पुत्र धनराज यादव निवासी शंकरपुर थाना महाराजगंज आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग

मु०अ०सं० 147/2021 धारा 3/25 शस्त्र अधि० बनाम मिथलेश यादव पुत्र धनराज यादव निवासी शंकरपुर थाना महाराजगंज आजमगढ़।

बरामदगी

एक अदद तमंचा, एक अदद जिन्दा कारतूस व दो अदद खोखा कारतूस .315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण

1. उ०नि० कन्हैया लाल मौर्य थाना बिलरियागंज आजमगढ़।
2. HC सुनिल कुमार थाना बिलरियागंज आजमगढ़।
3. का० अरुण सिंह थाना बिलरियागंज आजमगढ़।
4. का० नितेश कुमार थाना बिलरियागंज आजमगढ़।
5. का० शशि कुमार सिंह थाना बिलरियागंज आजमगढ़।
6. भानू प्रताप सिंह थाना बिलरियागंज आजमगढ़।

थाना-गम्भीरपुर

पौने चार किलो ग्राम नाजायज गाँजा के साथ तीन अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित, ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अवैध मादक पदार्थ की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल नेतृत्व में उ०नि० अमरनाथ यादव, उ०नि० लाल साहब सिंह मय राह के देखभाल क्षेत्र कस्बा मोहम्मदपुर में मौजूद थे कि मुखविर से सूचना मिली कि कुछ लोग नाजायज गाँजा लेकर सैनिक ढाबा के पास नदी के पुलिया पर खड़े हैं और कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस बल द्वारा तत्काल सैनिक ढाबा के पास स्थित नदी के पुलिया पर पहुँचा तो गुमटी के पास तीन व्यक्ति खड़े मिले जिनको टोका गया तो पुलिस बल को देखकर तीनों व्यक्ति भागना चाहे कि राहों कर्मचारीगण की मदद से मौके पर समय 19.10 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। प्रकरण NDPS ACT से सम्बन्धित होना पाकर क्षेत्राधिकारी सदर को अवगत कराया गया तो प्राप्त सूचना के क्रम में मौके पर क्षेत्राधिकारी सदर पहुँचे। पकड़े गये व्यक्तियों से उनका नाम पता पूछा गया तो पहले व्यक्ति ने अपना नाम अब्दुल रव पुत्र रियाज अद ग्राम गौरी थाना गम्भीरपुर आजमगढ़, दुसरे ने अपना नाम सबरजीत यादव पुत्र राम मगन यादव ग्राम रानीपुर रजमो विन्दा बाजार थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ तथा तीसरे ने अपना नाम सोनू उर्फ सर्फराज पुत्र मुमताज ग्राम रानीपुर रजमो (सीधारीगंज) थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ बताया। मौके पर तलाशी से अभियुक्त अब्दुल के पास से 1 Kg 210 ग्राम, सबरजीत यादव के पास से 1 Kg 275 ग्राम व सोनू उर्फ सर्फराज के पास से 1 Kg 215 ग्राम गाँजा बरामद किया गया। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर क्रमशः 1. मु०अ०सं०- 189/21 धारा 8/20 NDPS ACT बनाम अब्दुल रव 2. मु०अ०सं० 190/21 धारा 8/20 NDPS ACT बनाम सबरजीत यादव 3. मु०अ०सं० 191/21 धारा 8/20 NDPS ACT बनाम सोनू उर्फ सर्फराज के पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण

- 1- अब्दुल रव पुत्र रियाज अद ग्राम गौरी थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
2. सबरजीत यादव पुत्र राम मगन यादव ग्राम रानीपुर रजमो विन्द्रा बाजार थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
3. सोनू उर्फ सर्फराज पुत्र मुमताज ग्राम रानीपुर रजमो (सीधारीगंज) थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग

- 1.मु0अ0स0 189/21 धारा 8/20 NDPS ACT थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ ।
- 2.मु0अ0स0190/21 धारा 8/20 NDPS ACT थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ ।
- 3.मु0अ0स0 191/21 धारा 8/20 NDPS ACT थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ ।

बरामदगी

अब्दुल रव के पास से 1 Kg 210 ग्राम नाजायज गाँजा,
सबरजीत यादव के पास से 1 Kg 275 ग्राम नाजायज गाँजा
सोनू उर्फ सर्फराज के पास से 1 Kg 215 ग्राम नाजायज गाँजा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

उ0नि0 अमरनाथ यादव थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ ।
राह उ0नि0 लाल साहब सिंह थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ ।
का0 बैजनाथ सरोज थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ ।
का0 उदयभान गुप्ता, थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ ।
का0 सौरभ सरोज थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ ।

थाना अतरौलिया

गोवध अधिनियम में एक गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित , इनामिया, गोवध, अवैध शराब बिक्री के अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीणश्री सिद्धार्थ व क्षेत्राधिकारी बूढनपुर श्री गोपाल स्वरूप बाजपेयीव प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील चन्द्र तिवारी अतरौलिया आजमगढ़ के कुशल निर्देशन में आज उ0नि0 जितेन्द्र कुमार सिंघ राह का0 रणविजय व का0 भोलू यादव के देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति /वाहन में मखनहा क्षेत्र में मामूर थे कि मुखबिर की सूचना पर उ0नि0 जितेन्द्र कुमार सिंह मय राह के रवाना होकर बूढनपुर चौराहा पहुंचा तो एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए मुखबिर ने बताया की यही सोनू है। पुलिस वालों को देख कर अभियुक्त उपरोक्त हड़बड़ा कर भागना चाहा फिर पुलिस वालोंद्वारा आवश्यक बल का प्रयोग कर घेर घार कर पकड़ लिया गया। पकड़े गये अभियुक्त का नाम पता पूछा गया तो अपना नाम सोनू यादव पुत्र शंकर यादव निवासी इन्दारा (अहिरपुरा) थाना कोपागंज मऊ उम्र करीब 25 वर्ष बताया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

- 1- मु0अ0स0 102/21 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम

गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1- सोनू यादव पुत्र शंकर यादव निवासी इन्दारा (अहिरपुरा) थाना कोपागंज मऊ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

1. उ0नि0 जितेन्द्र सिंह थाना अतरौलिया आजमगढ़
2. का0 रणविजय थाना अतरौलिया आजमगढ़
3. का0 भोलू यादव थाना अतरौलिया आजमगढ़

थाना तरवां

07 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर सिंह द्वारा चलाये जा रहे वांछित अभियुक्त/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर आजमगढ़ श्री पंकज कुमार पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री मनोज कुमार रघुवंशी व प्र0नि0 श्री स्वतंत्र कुमार सिंह के निर्देशन में उ0नि0 रमेश कुमार पाण्डेय मय फोर्स के साथ मुखबिर खास की सूचना पर साहब एसटी न0 286/08 अ0सं0 121ए/2000 धारा 147/148/149/323/324/325/504/506 भादवि व 3(1)10 एसएसीएसटी एक्ट थाना तरवां से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्तगण 1.सेचन पुत्र जगधारी 2.कमलेश पुत्र नरा यण 3. सुरेन्द्र पुत्र बनारसी 4. दुधई पुत्र रामधारी 5. रामनवल पुत्र दशरथ 6. लाखा पुत्र पंचम 7. नरेन्द्र पुत्र दशरथ सा0 चौकी गंजोर थाना तरवां आजमगढ़ सभी वारण्टी इस समय अपने घर पर मौजूद हैं अगर जल्दी करेंगे तो वह पकड़ा जा सकता है मुखबिर खास की बातों पर विश्वास करके उ0नि0 मय राही मय सरकारी बोलेरो मय चालक व मुखबिर खास को साथ लेकर ग्राम चौकी गंजोर के लिये चल दिया कि ग्राम चौकी गंजोर में वारण्टी उपरोक्त सभी सेचन के घर पर ही आपस में बात कर रहे थे राही कर्म0गण की मदद से सेचन के घर पर ही उपरोक्त समस्त वारण्टी अभि0गण को पकड़ लिया गया पकड़े

गये व्यक्तियों से जब नाम पता पुछा गया तो अपना नाम क्रमशः 1.सेचन पुत्र जगधारी 2.कमलेश पुत्र नरायण 3. सुरेन्द्र पुत्र बनारसी 4. दुधई पुत्र रामधारी 5. रामनवल पुत्र दशरथ 6. लाखा पुत्र पंचम 7.नरेन्द्र पुत्र दशरथ सा 0 चौकी गंजोर थाना तरवां आजमगढ़ बताये जो मुकदमा उपरोक्त में मा 0 न्यायालय द्वारा जारी NBW मे वांछित अभियुक्त है को कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 10.05 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। चूंकि गांव होने के कारण गिरफ्तारी के समय जनता के कुछ लोग आ गये जिनसे गिरफ्तारी का गवाह बनने के लिए कहने पर भलाई बुराई के डर से अपना बिना नाम पता बताये हट बड़ गये। गिरफ्तारी के समय मा 0 उच्चतम न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए वारण्टी अभियुक्तगण की गिरफ्तारी की सूचना उनके परिजनो को मौके पर दे दी गयी तथा विधिक कार्यवाही करते हुये मा 0 न्या 0 आजमगढ़ भेजा जा रहा है ।

गिरफ्तारी का स्थान – ग्राम चौकी गंजोर थाना तरवां आजमगढ़
पंजीकृत अभियोग -

1- एसटी न 0 286/08 अ 0 सं 0 121 ए/2000 धारा 147/148/149/323/324/325/504/506 भादवि व 3(1)10 एसएसीएसटी एक्ट थाना तरवां आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त -

1-सेचन पुत्र जगधारी 2.कमलेश पुत्र नरायण 3. सुरेन्द्र पुत्र बनारसी 4. दुधई पुत्र रामधारी 5. रामनवल पुत्र दशरथ 6. लाखा पुत्र पंचम 7.नरेन्द्र पुत्र दशरथ सा 0 चौकी गंजोर थाना तरवां आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1- उ 0 नि 0 रमेश कुमार पाण्डेय मय राह थाना तरवां आजमगढ़